रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2016/फाल्गुन 20, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 225
No. 42] DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2016/PHALGUNA 20, 1937 [N.C.T.D. No. 225

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2016

**सं. फा. डीएचई. 4(68)/एसएफआरसी/14–15/7074.**— दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिष्चित करने हेतु केपिटेषन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेष के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों को करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिये शुल्क निर्धारित करने के लिये और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिये दिनांक 01 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं डीएचई 4(45)/2007–08/6962 के अनुसार राजकीय शुल्क विनियामक कमेटी गठित की थी और उक्त कमेटी ने 2013–16 की अवधि के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

आगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजकीय शुल्क विनियामक कमेटी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2013–16 के लिये प्रस्तावित शुल्क को 2014–17 की अवधि के लिये अधिसूचित किया जाये। और, आगे निर्णय लिया है कि चार वर्षों तथा पाँच वर्षों की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिये लागू होंगे।

अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) एवं (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजकीय शुल्क विनियामक कमेटी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2013–16 के लिये प्रस्तावित शुल्कों को शैक्षणिक वर्ष 2014–17 के लिये तथा क्रमशः वर्ष 2014–18 के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये तथा वर्ष 2014–19 के पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं.फा. डीएचई. 4(68)/एसएफआरसी/14–15/9728 दिनांक 19.2.2016 को अधिसूचित किया गया था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व प्रभाव से बढाई गई शुल्कों के कारण हजारों छात्र प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उपरोक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं.फा. डीएचई. 4 (68)/एसएफआरसी/14–15/9728 दिनांक 19.2.2016 को पूर्व प्रभाव से रद्द कर दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
शिव कुमार, निदेशक (उच्च शिक्षा)

## DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

## NOTIFICATION

Delhi, the 10th March, 2016

**F. No. DHE4(68)/SFRC/14-15/7074.**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007. (Delhi Act 8 of 2007), the Government of the National Capital Territory of Delhi constituted a State Fee Regulatory Committee vide Notification No. F.DHE 4(45)/2007-08/6962 dated the 1st February, 2013 for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the said Act. The said committee submitted its report for the period of 2013-16.

Further, the Government of the National Capital Territory of Delhi had decided that the fee proposed for academic year 2013-16 by the State Fee Regulatory Committee be notified for the period 2014-17. And had further decided that, for the courses having duration of four years and five years, the fee notified by the Government will be applicable for the entire duration of the course.

And further in exercise of the powers conferred by sub sections (3) and (13) of section 6 of the said Act, the Government of the National Capital Territory of Delhi had notified the proposed fees for the academic year 2013-16 given by the State Fee Regulatory Committee, for the academic year 2014-17 and for the year 2014-18 for four years course and 2014-19 for five years course respectively vide Extra Ordinary Gazette Notification No. F.DHE 4(68)/SFRC/14-15/9728 dated 19.02.2016.

Considering the fact that thousands of students have been affected by the revision of the fee with retrospective effect, the Government of National Capital Territory of Delhi rescinds the aforesaid Gazette Notification No. DHE 4(68)/SFRC/14-15/9728 dated 19-2-2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SHIV KUMAR, Director (Higher Education)

Printed by the Manager Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.